प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 10.04.2024

थाना इंदिरापुरम पुलिस टीम व गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस टीम द्वारा मोटर साइकिल चोरी करने वाला एक अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की एक मोटर साइकिल बरामद।

दिनांक 09.04.2024 को थाना इंदिरापुरम पुलिस टीम व गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर अभियुक्त आदिल खान पुत्र वाहिद खान उम्र 20 वर्ष निवासी सी ब्लाक गली न0 20 विजय पार्क दिल्ली 53 स्थायी निवासी ग्राम सहस्वान थाना शहजवान जिला बंदायू को प्रहलादगढी रेड लाईट के पास से चोरी की एक मोटर साइकिल सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुध्द सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरण</u>

गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ की गयी तो बताया गया कि उक्त मोटर साइकिल को मेरे द्वारा दिल्ली से चोरी किया गया था। जिसको मैं फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर चला रहा था। उक्त मोटर साइकिल चोरी के सम्बन्ध में ई-पुलिस स्टेशन एमवी थैप्ट जिला क्राईम ब्रांच दिल्ली में अभियोग पंजीकृत है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता</u>

आदिल खान पुत्र वाहिद खान निवासी सी ब्लाक गली न0 20 विजय पार्क दिल्ली 53 स्थायी निवासी ग्राम सहस्वान थाना शहजवान जिला बंदायू उम्र 20 वर्ष।

<u>बरामदगी का विवरण</u>

- मोटर साइकिल स्पलैंडर प्लस व फर्जी न0 प्लेट ।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम</u>

थाना इंदिरापुरम पुलिस टीम व गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस टीम

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा लूट की घटना कारित करने वाले 04 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से लूट का माल नगदी 601800/-रुपये, 01 चाकू, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल व 02 मोबाइल फोन बरामद।

<u>कार्यवाही व घटना का विवरण</u>-

थाना ट्रोनिका सिटी पर मुकदमा वादी श्रीमती मोहिनी गुप्ता पत्नी आशीष गुप्ता नि0 आन्नद पर्वत (दिल्ली) के साथ हुई लूट के सम्बन्ध में थाना ट्रोनिका सिटी पर अभियोग पंजीकृत किया गया। उच्च अधिकारियों के निर्देशन में अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया। दिनांक 09.04.2024 को 02 अभियुक्तों योगेश कुमार पुत्र पूरन सिंह नि0 16/187 पापा नगर हरपाल सिंह रोड गली नं0 02 करोल बाग दिल्ली उम्र 25 वर्ष व दीपक पुत्र तारा चन्द्र नि0 त्रिनगर इन्द्रलोक के पास 1356 गली नं0 95 तोताराम बाजार गणेशपुरा दिल्ली उम्र 27 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया गया तथा 02 अन्य अभियुक्तो दीपक पुत्र दौलत राम नि0 16/1801 ब्लाक पापा नगर गली नं0 3 करोल बाग नई दिल्ली उम्र 28 वर्ष, आशीष गुप्ता पुत्र राजेश गुप्ता नि0 2/69 हरीजन बस्ती न्यू रोहतक रोड आनन्द पर्वत करोल बाग दिल्ली उम्र 29 वर्ष को आज दिनांक 10.04.2024 को श्रीराम चौक के निकट केयर ग्रुप से गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर वादिया के पति अभियुक्त आशीष गुप्ता पुत्र राजेश गुप्ता नि0 2/69 हरीजन बस्ती न्यू रोहतक रोड आनन्द पर्वत करोल बाग दिल्ली उम्र 29 वर्ष ने बताया कि मेरे ससुर ने करीब 8 लाख रुपये मेरे घर पर मकान खरीदने हेतु रखे थे। जिसमें से मुझ पर करीब एक डेढ लाख रुपये खर्च हो गये थे तो मैने अपने तीन साथी दीपक पुत्र दौलत राम एवं योगेश कुमार पुत्र पूरन सिंह व दीपक पुत्र तारा चन्द के साथ मिलकर लूट की घटना का षत्रयंत्र रचा था तथा इस षडयंत्र के तहत ही मेरे कहने पर ही मेरे साथियों ने योगेश कुमार पुत्र पूरन सिंह व दीपक पुत्र तारा ने जब मैं आशीष गुप्ता अपनी पत्नी के साथ दिल्ली अपने आवास मोटरसाइकिल से रामायण चौक ट्रोनिका सिटी के पास आया तो सामने से मोटरसाइकिल सवार आकर चाकू दिखाकर पैंसो से भरा बैग छीनकर कर घटना को अंजाम दिया गया था। इस घटना को अंजाम देने के लिये मैंने अपने साथियों को 20000/-रू0 देना का वादा किया था।

नाम/पता गिरफ्तार अभियुक्त -

1. योगेश कुमार पुत्र पूरन सिंह नि0 16/187 पापा नगर हरपाल सिंह रोड गली नं0 02 करोल बाग दिल्ली उम्र 25 वर्ष

2.दीपक पुत्र तारा चन्द्र नि0 त्रिनगर इन्द्रलोक के पास 1356 गली नं0 95 तोताराम बाजार गणेशपुरा दिल्ली उम्र 27 वर्ष

3. दीपक पुत्र दौलत राम नि0 16/180 1 ब्लाक पापा नगर गली नं0 3 करोल बाग नई दिल्ली उम्र 28 वर्ष

4. आशीष गुप्ता पुत्र राजेश गुप्ता नि0 2/69 हरीजन बस्ती न्यू रोहतक रोड आनन्द पर्वत करोल बाग दिल्ली उम्र 29 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

1- 601800/- रूपये नगदी

2-01 मोटरसाइकिल

3- 01 चाकू नाजायज

4- 02 मोबाइल फोन

अपराधिक इतिहास-

उक्त लूट की घटना से संबंधित थाना ट्रोनिका सिटी पर 01 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम

थाना इंदिरापुरम पुलिस टीम द्वारा राहगीरों से पता पूछने के बहाने टप्पेबाजी करने वाला एक शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 पीली धातु की चैन व 500/- रु का एक नोट व 14 नोटो के आकार मे बनी हुई अंग्रेजी अखबार की गड्डी बरामद।

दिनांक 09.04.2024 को थाना इंदिरापुरम पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर एनसीआर क्षेत्र में टप्पेबाजी करने वाला 01 शातिर अभियुक्त अंकुर पुत्र राम किशन निवासी 701 बी-ब्लॉक 7 जे0जे0 कॉलोनी बवाना दिल्ली उम्र 22 वर्ष को सैक्टर 62 से मेरठ की ओर जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार कर व 01 बाल अपचारी को अभिरक्षा में लेकर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

गिरफ्तार अभियुक्त व उसके साथी बाल अपचारी से पूछताछ की गयी तो बताया कि हम लोग गाजियाबाद नोएडा व एनसीआर क्षेत्र में दूर प्रदेश को जाने वाले राहगीरों से रास्ता आदि पूछने के बहाने से बातों में फंसाकर उनसे जान पहचान करते थे तथा बाद में उन्हे मनगंढंत कहानी बनाकर लालच देकर उनसे कुछ पैसे व सामान लेकर बदले में उन्हें यह जो हमारे पास रुमाल में बंधे हुए अखबार की बनी नोट के आकार की गड्डी जिसके उपर एक 500 रु का नोट बांधकर रखते है । उस रुमाल को इस प्रकार खोलकर दिखाते है कि जिससे यह असली नोटों की गड्डी प्रतीत हो और बाद में हम राहगीरों को यह सलाह भी देते है कि यह गड्डी घर पर या दूर कही जाकर खोलना हो सकता है कोई हमें देख भी रहा हो । यह जो गले की चैन आपने हमारे पास से बरामद की है । यह भी एक व्यक्ति को इसी प्रकार ठगी करके ली थी तथा कुछ दिन पहले भी हम दोनों द्वारा महाराजपुर व साहिबाबाद क्षेत्र में इसी प्रकार की घटना की गई थी ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

अंकुर पुत्र राम किशन निवासी 701 बी-ब्लाक 7 जे0जे0 कॉलोनी बवाना दिल्ली उम्र 22 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण

1. 01 पीली धातु की चैन
2. 500/- रु का एक नोट
3. 14 नोटो के आकार मे बनी हुई अंग्रेजी अखबार की गड्डी बरामद ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना इंदिरापुरम पुलिस टीम

थाना सिहानीगेट पुलिस टीम द्वारा हत्या का अनावरण कर 02 शातिर हत्यारो को गिरफ्तार किया गया, जिनकी निशादेही पर घटना में प्रयुक्त ट्रक नं0 DL 1MB 0272 आयशर केन्टर व उसकी केबिन से मृतक का मोबाइल, PAN CARD, DL, आधार कार्ड, पर्स, आला कत्ल रस्सा, कंबल व घटनास्थल से मृतक के जूते व घटना में प्रयुक्त कपड़ा बरामद

दिनांक 08/09.04.2024 की रात्रि 01.05 बजे वादिया द्वारा अपने पति मनोज उम्र 27 वर्ष की दिनांक 07.04.24 की दोपहर 12 बजे दोस्त राजेश से उधार के पैसे लेने की कहकर जाने व वापस न आने के सम्बन्ध में थाना सिहानीगेट पर गुमशुदगी दर्ज करायी । गुमशुदगी की जांच व मृतक के मोबाइल की सीडीआर से पाया गया कि मृतक मनोज का शव गौतमबुद्धनगर के दादरी थाना क्षेत्र के ईस्टर्न पेरिफेरल रोड़ दादरी से डासना की ओर दादरी पुलिस द्वारा लावारिस अवस्था में दिनांक 08.04.24 को समय 11.00 बजे मिलने पर शव का पंचायतनामा तैयार कर पोस्टमार्टम कराया गया । मृतक के परिजनों से सम्पर्क किया गया जो कि अलीगढ के रहने वाले हैं । मृतक के पिता रामखिलाडी ने थाना सिहानीगेट आकर शव का फोटो देखकर अपना पुत्र मनोज होने की पुष्टि की एवं मृतक मनोज की पत्नी व राजेश के बीच प्रेम प्रसंग के चलते मनोज की पत्नी व राजेश द्वारा ही षड़यन्त्र कर अपने पुत्र की हत्या किये जाने की आशंका जतायी तथा मृतक की पत्नी व राजेश के द्वारा ही हत्या कर शव को छिपा देने के सम्बन्ध में थाना सिहानीगेट पर दिनांक 09.04.24 को अभियोग पंजीकृत कराया गया । अभि0 राजेश को गिरफ्तार कर उसकी निशादेही पर घटना में प्रयुक्त ट्रक नं0 DL 1MB 0272 आयशर केन्टर व उसकी केबिन से मृतक का मोबाइल, PAN CARD, DL, आधार कार्ड, पर्स, आला कत्ल रस्सा, कंबल व घटनास्थल से मृतक के जूते व घटना में प्रयुक्त कपड़ा बरामद किया गया एवं अपने पति मनोज की हत्या के षडयन्त्र में शामिल मृतक की पत्नी की गिरफ्तारी की गयी

। मृतक की पत्नी व अभियुक्त राजेश के मध्य हत्या की साजिश की बातचीत की ऑडियो रिकार्डिंग व मृतक के मोबाइल से अभियुक्त राजेश द्वारा मृतक मनोज को मारते समय ऑडियो रिकार्डिंग प्राप्त हुई।

पूछताछ का विवरण

अभियुक्त राजेश ने बताया कि मैं, रामेश्वर के ट्रांसपोर्ट पर, विवेकानन्द नगर थाना कविनगर पर ट्रक नं0 DL1MB 0272 का ड्राईवर हूँ। जिस ट्रांसपोर्ट का मालिक रामेश्वर व वाहन के स्वामी रामेश्वर की साली सुनीता है। इस ट्रक को लेकर मैं दादरी की ओर प्रेम जोन 4 नाम पॉलोथीन बनाने की फैक्ट्री से माल लेकर झज्जर हरियाणा जाता हूँ। मैं पिछले तीन-चार साल से मृतक मनोज और उसकी पत्नी के साथ किराएदार के रूप में दौलतपुरा पडौस में रह रहा हूँ। मृतक मनोज का अपनी पत्नी से झगड़ा रहता था। इसी के चलते मेरे, मनोज की पत्नी से शारीरिक सम्बन्ध हो गए थे। जिसका विरोध मृतक मनोज अक्सर करता था, तो मनोज की पत्नी और मैंने एक प्लान बनाया कि इसको रास्ते से हटा दिया जाए। मनोज की पत्नी ने अपने पति मनोज को पैसे लेने के बहाने मेरे पास यह कहकर भेजा कि मेरा पति शराब बहुत पीता है। पहले तुम इसको शराब पिला देना और जब यह ज्यादा नशे में हो जाए तो इसको मारकर इसकी लाश को कहीं छिपा देना। दिनांक 07.04.24 को मृतक मनोज उसकी पत्नी के बताए अनुसार मुझे लालकुँआ पर मिला। जिसको मैंने अपनी गाड़ी में बैठाकर गाड़ी को दादरी की ओर ले जाकर आगे शराब के ठेके से तीन देशी शराब के क्वार्टर खरीदकर कुछ आगे चलकर फैक्ट्री से 02 किमी0 पहले ट्रक रोककर मैंने उसे शराब पिला दी और बातों में लगाकर नशा चढने का इन्तजार करता रहा। जब मनोज पूरी तरह से नशे में बेहोश हो गया और ट्रक में ड्राईवर की तरफ पैर करके व कण्डक्टर सीट की तरफ खिड़की पर सिर लगाकर लिटा दिया। तब मैंने गाड़ी में रखे कपडे से मनोज की गर्दन को दबाया परन्तु मुझे विश्वास नहीं हुआ कि अभी मनोज मरा नहीं है, फिर ट्रक में रखी रस्सी को लेकर नीचे उतर कर मनोज के गले में रस्सी डालकर मनोज को गला घोटकर मार दिया और उसकी लाश को ट्रक की सीट पर लिटाकर ऊपर से कंबल से ढक दिया और शाम के वक्त मैं अपने ट्रक को कम्पनी के अन्दर ले जाकर लोड़ करने के लिए खड़ा कर दिया। जब ट्रक लोड हो गया तब मैं दिनांक 08.04.24 को समय करीब लगभग 04.30 बजे सुबह अन्धेरे में गाडी को झज्जर के लिए निकाल कर चल दिया। पेरीफेरल पर चढकर कुछ आगे चलकर जहाँ डासना 17 किमी0 का बोर्ड लगा है उससे लगभग दो-तीन सौ मीटर आगे ट्रक को साईड में खड़ा करके मनोज की लाश को गाडी से खींचकर रोड़ के किनारे रेलिंग के पार फेंक दिया व मृतक मनोज के जूते रेलिंग के पास रखकर व जिस कपड़े से मनोज का गला दबाया था वह कपड़ा भी वहीं फेंक दिया और मैं अपने ट्रक को लेकर झज्जर चला गया और मैंने मनोज की पत्नी को हम दोनो के द्वारा बनाए गए प्लान के अनुसार मनोज की हत्या की सारी कहानी बता दी और उसे सचेत कर दिया। अपने बचाव के इरादे को लेकर मैंने मनोज की पत्नी से दिनांक 09.04.24 को मनोज की गुम होने की सूचना अंकित कराने हेतु भेजा था। आज पुलिस ने हम दोनों को पकड़ लिया और मैंने सारी बात बता दी। ट्रक, रस्सी, कपड़ा, कंबल और मनोज के जूते, मोबाईल, PAN CARD, DL, आधार कार्ड व पर्स भी पुलिस को बरामद करा दिया।

बरामदगी का विवरणः-

1. घटना में प्रयुक्त ट्रक नं0 DL 1MB 0272 आयशर केन्टर
2. ट्रक की केबिन से मृतक का मोबाइल, PAN CARD, DL, आधार कार्ड, पर्स, आला कत्ल रस्सी व कंबल
3. घटनास्थल से मृतक के जूते व घटना में प्रयुक्त कपड़ा

नाम पता अभियुक्त-

1. राजेश गुप्ता पुत्र कन्हैया गुप्ता, नि0 ग्राम पडरौना, मरूवही, थाना विशुनपुरा, तहसील दुधई, दुधई स्टेशन से तमकुही रोड , 01 किमी0 , जिला कुशीनगर, हाल पता – रामेश्वर पुत्र मूलचन्द का ट्रांसपोर्ट, विवेकानन्द नगर, थाना कविनगर, गाजियाबाद।
2. अभियुक्ता

<u>गिरफ्तार एवं बरामदगी करने वाली टीमः-</u>

थाना सिहानीगेट पुलिस टीम

थाना भोजपुर पुलिस द्वारा अवैध शराब बनाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार व अवैध शराब की भट्टी, उपकरण मय 20 लीटर अवैध शराब व 100 लीटर लाहन बरामद।

आज दिनांक 10.04.2024 को थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर ग्राम अमराला में अवैध शराब का कार्य करते हुये अभियुक्त प्रमोद पुत्र रामस्वरुप निवासी ग्राम अमराला थाना भोजपुर गाजियाबाद को अवैध शराब की भट्टी मय उपकरण के मय 20 लीटर अवैध शराब खाम, 100 लीटर लाहन सहित गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरण-</u>

गिरफ्तार अभियुक्त के द्वारा बताया कि मैं आस-पास के गांवो के लोगों को शराब बनाकर बेचता था।

<u>बरामदगी का विवरण-</u>

अवैध शराब की भट्टी मय उपकरण मय के 20 लीटर अवैध शराब खाम, 100 लीटर लाहन बरामद।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता-</u>

प्रमोद पुत्र रामस्वरुप निवासी ग्राम अमराला थाना भोजपुर गाजियाबाद उम्र 30 वर्ष

<u>गिरफ्तार करने वाली टीम-</u>

थाना भोजपुर पुलिस टीम